| _ |
|---|
| • |
| |
| 7 |

Not to be filled by the Candidate

| Time : 3 Hours | Maximum Marks: 100 |
|------------------|--------------------|
| ANTON PROTECTION | |

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पिहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रह कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंधनापूर्ण कार्य करता है तो यह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दिण्डक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- 4. प्रश्न पत्र 'अ' और 'ब' दो भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में से किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
- 5. भाग 'अ' में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार उत्तर विकल्प दिये गये हैं। अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर विकल्पों के आगे बने चौखाने में सही का चिन्ह √ लगा कर स्पष्ट रूप से निंदिष्ट करने चाहियें, किसी अन्य स्थान पर नहीं। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है। एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा।
- 6. भाग 'ब' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से 'प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका' में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखे, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पुरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। पलेप पर उत्तर के माध्यम के चौखाने में एक विकल्प को चिन्हित करें।
- 9. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 10. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित हैं, तो शीघताशीघ अभिजागर से कह कर उसे बदलवा लें या अभिजागर के घ्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
- 11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question paper-cum-Answer Book"; and not at any other place

- 2. Do not write any mark of identity inside the "Question paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
- The question paper is divided into two parts, A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
- 5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the question paper cum answer book, each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question in the box provided against each option by mark of correct \(\sigma\) and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
- 6 The answers of the questions in the part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- a. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking in box of medium of answer on the flap.
- In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 10. In case the Question paper cum Answer booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark. समस्त 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है।

| Qu | 80 | Hi | 20 | N | 10 | |
|----|-----------|----|-----|---|-----|----|
| An | C3 | ч | UII | 1 | ιυ, | 1, |

| "A" has in his possession several seals, knowing them to intending to use them for the purpose of committing several under Section 466 of the Indian Penal Code. Which one of the following is a correct statement:- | be counterfeit and forgeries punishable |
|---|--|
| (1) "A" cannot be separately charged for possession of each seal under Section 473 of the Indian Penal Code | |
| of each seal under Section 473 of the Indian Penal Code. (3) "A" has not committed any offence, hence he cannot be | |
| charged. | |
| (4) None of the above. | |
| प्रश्न संख्या 1. | |
| 'क' के कब्जे में कई मुद्राएं है जिन्हें वह जानता है कि वे कूटकृत हैं और जि आशय रखता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466 के अधीन दण्डनीय क प्रयोजन से उन्हें उपयोग में लाए। | ानके सम्बन्ध में वह यह ई कूट रचनाएं करने के |
| निम्न में से कौनसा कथन सत्य है:- | |
| (1) 'क' पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 473 के अधीन पृथक्तः आरोप नहीं लगाया जा सकेगा। | |
| (2) 'क' पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय दण्ड | |
| (3) 'क' ने कोई अपराध कारित नहीं किया अतः वह आजेपित | |
| नहीं किया जा सकता। (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। | |
| Question No.2. | |
| Any court may take cognizance of an age | |
| Any court may take cognizance of an offence after expiry of the p if it is satisfied on the facts and circumstances of the case that:- | period of limitation, |
| (1) The delay has been properly explained | |
| (2) It is necessary so to do in the interest of justice. (3) The State Government has given instructions | |
| for taking such cognizance. | |
| (4) In 1 and 2 both the conditions. | \exists |
| प्रश्न संख्या 2. | |
| कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्च मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि:— | ात् कर सकता है, यदि |
| (1) विलम्ब का अचित रूप से स्पष्टीकरण कर हिमा माम ै। | |
| (2) न्याय हित में एसा करना आवश्यक है। | |
| (3) राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रसंज्ञान लेने हेत निर्देश किये गर्भ है। | |
| (4) 1 एवं 2 दोनों ही दशाओं में। | |

| | Question No.3. | | |
|----|---|---------------|------------|
| | Identify the wrong statement:- (1) In every trial before a Court of Sessions, | | 1 1 |
| | the prosecution shall be conducted by a Public Prosecutor. (2) If the accused pleads guilty, the Judge shall record | | |
| 17 | (3) When the examination of the witness, if any, for the | | |
| | defence is complete, the prosecutor shall sum up his case and the accused shall be entitled for reply. (4) After hearing arguments and points of law, if any, | | |
| | the Judge shall give a judgment and in the case of conviction shall pass an order of sentence simultaneously. | | |
| | प्रश्न संख्या ३. | | |
| | गलत कथन को पहचाने : (1) सेंशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जायेगा। (2) यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश | | |
| | उस अभिवाक् को लेखबद्व करेगा और उसे, स्वविवेकानुसार, | | |
| | दोषसिद्ध कर सकता है। | | |
| | (3) जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की, यदि कोई हो, परीक्षा समाप्त हो | 100000 | |
| | जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और | | 100 |
| | अभुयक्त उसका उत्तर देने का अधिकारी होगा। | | |
| | (4) बहस और विधि—प्रश्न, यदि कोई हो, सुनने के पश्चात् न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा और दोषसिद्धि होने पर साथ के साथ | | |
| | ही दण्डादेश पारित करेगा। | | |
| | Question No.4. | | |
| | Two courts subordinate to different High Courts have taken cogn offence. The question that which one court shall try that offence | izance of | the same |
| | by:- | c, silali bi | . acciaco |
| | (1) The Supreme Court of India. | | |
| | (2) Any of the High Court. (3) The High Court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the | | |
| | proceedings were first commenced. | | |
| | (4) None of the above. | H | |
| | प्रश्ने संख्या 4. | | |
| | दो न्यायालय जो कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों के अधिनस्थ हैं, द्वारा एक | ही अपराध | का संज्ञान |
| | ले लिया गया। उक्त अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाय, : | ये प्रश्न निध | रित करेग |
| | (1) भारत का सर्वोच्च न्यायालय। | | |
| | (2) कोई भी उच्च न्यायालय। | | |
| | (3) वह उच्च न्यायालय जिसके अपीलीय दाण्डिक क्षेत्राधिकार | | |
| | की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कार्यवाही पहले प्रारम्भ की गई। | | |
| | (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। | | 19 |
| | | | |
| | (a) 41 (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | | |

| Question No. 5. | |
|---|--------------------------|
| In cases tried by a Chief Judicial Magistrate, the Magistrate shall his findings to:- | forward a copy of |
| The Collector of the District where the case was tried. The District Judge of the judgeship concerned. The District Magistrate within whose local jurisdiction the | |
| trial was held. (4) The High Court to which the Chief Judicial Magistrate | |
| ls subordinate. प्रश्न संख्या 5. | |
| ऐसे मामले जिनका विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, ऐसा की प्रति अग्रेषित करेगा : | मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष |
| (1) उस जिले के जिलाधीश को जहां पर मामले का विचारण किया गया। (2) सम्बद्ध जिला न्यायपीठ के जिला न्यायाधीश को। (3) उस जिला दण्डनायक को जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर | |
| विचारण किया गया हो। (4) उच्च न्यायालय को जिसके अधिनस्थ उक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। | |
| Question No. 6. | |
| It is within the knowledge of "R" that "Q" is hiding himself behind is having no knowledge of it. "R" intending to cause death of "Q", at curtain. "S" fires accordingly, resulting into death of "Q" background which statement of the following is correct:- (1) "R" has not committed any offence. (2) "R" has committed an offence of culpable homicide not amounting to murder. (3) "R" has caused death by negligence. (4) "S" may be guilty of no offence. | induces "S" to fire |
| प्रश्न संख्या ६. | |
| "R" को इस बात की जानकारी है कि "Q" ने अपने आपको पर्दे के पीछे छुपा इसकी कोई जानकारी नहीं है। "Q"की मृत्यु कारित करने आशय से "R" "S"के उत्प्रेरित करता है। इस पर"S"गोली चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप "Q" इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में निम्न में से कौनसा वक्तव्य सही है:- (1) "R"ने कोई अपराध कारित नहीं किया। (2) "R"ने हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानववध किया। (3) "R" ने उपेक्षा से मृत्यु कारित की। (4) "S"किसी अपराध का दोषी न हो। | गोली चलाने के लिए |
| | |
| | |

| Question No.7. | | | |
|--|---------------------|----------------|-----------|
| "A" is owner of a Stud Farm whom water | | | |
| "A" is owner of a Stud Farm, where water | supply service is | s available to | o have |
| drinking water for horses. "B" diverts the | flow of water | supply towar | rds his |
| agriculture land knowing that it shall cause | diminution of the | supply of d | rinking |
| water to the horses. "B" commits an offence u | nder:- | 1.5 | |
| (1) Section 428 Indian Penal Code. | | . 🗀 | |
| (2) Section 431 Indian Penal Code. | | | |
| (3) Section 430 Indian Penal Code. | | | |
| (4) Under Prevention of Cruelty to Animals A | Act, 1960. | | |
| प्रश्न संख्या 7. | | | |
| 'अ' एक अश्वशाला का स्वामी है, जहाँ घोड़ों की पेयज | ल हेत जलपदाय सेत | ਸ ਕਰਕਣਾ ਵੈ। ' | त' जक्य |
| जलप्रदाय सेवा के प्रवाह को यह जानते हुए भी कि | इससे घोड़ों के पेगल | स में कमी कावि | व रोगी |
| अपने कृषि भूमि की ओर मोड़ देता है। 'ब' एक अपराध | कारित करता है : | त न कमा कार | (1 61-11, |
| (1) अन्तर्गत धारा 428 भारतीय दण्ड संहिता। | 9 myce myne | | |
| (2) अन्तर्गत धारा 431 भारतीय दण्ड संहिता। | | | |
| (3) अन्तर्गत धारा 430 भारतीय दण्ड संहिता। | | | |
| (4) अन्तर्गत पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, 1960। | | | |
| (ग) जारा राषु प्रदूरता रायव जावानवन, १९७०) | | | |
| | | | |
| Question No.8 | | | |
| In presence of his wife "B", "A" causes a grieve | ous burt by a knife | e to "C" "B" | uachoo |
| that knife and hides in her room with intention | n of screening her | huchand from | wasnes |
| punishment. "B" commits an offence described | l under- | nusbanu iron | n legal |
| (1) Section 203 Indian Penal Code. | r under. | | |
| (2) Section 206 Indian Penal Code. | | | |
| (3) Section 201 Indian Penal Code. | | = | |
| (4) Section 212 Indian Penal Code. | 9 | \vdash | |
| | ¥ | . — | |
| प्रश्न संख्या ८. | | | |
| अपनी पत्नी'ब' की उपस्थिति में, 'अ' चाकू द्वारा 'स' क | ो गम्भीर उपहति कार् | रेत करता है। ' | ब' अपने |
| पति को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से, | चाकू को धोकर अपने | कमरे में छिपा | लेती है। |
| 'ब' ने किस धारा में वर्णित अपराध किया है: | • | | |
| (1) अन्तर्गत धारा 203 भारतीय दण्ड संहिता। | | | |
| (2) अन्तर्गत धारा 206 भारतीय दण्ड संहिता। | | | |
| (3) अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता। | | | |
| (4) अन्तर्गत धारा 212 भारतीय दण्ड संहिता। | | | |
| Question No.9. | | 2 T | |
| | | | |
| "B" a married woman voluntarily indulges in s | sexual Intercourse | with the con | sent of |
| her husbandwith a married man "A". "A" is gui | ilty of:- | | |
| (1) Adultery | | | |
| (2) Rape (3) Abatement | | | |
| (4) None of the above. | | | |
| (7,110.00.000.00 | | | |
| | | | |
| | | | |

| प्रश्न संख्या 9. 'ब' एक विवाहित स्त्री, स्वैच्छयासे अपने पति की सहमति से एक विवाहित पुरूष | r 'ar' à |
|--|---------------------|
| करता है। अ दीवा है :- | । अ क साथ सम्भाग |
| (1) व्याभिचार का। (2) बलात्कार का। | |
| (3) दुष्प्रेरण का। | |
| (4) उपरोक्त में से किसी का नहीं। | |
| Question No.10. | |
| Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872 applies:- (1) When the person giving information is an accused but not in custody of police officer. | |
| (2) When the person is in custody of a police officer, but | . — |
| not an accused. (3) When the person is neither in custody of police officer | |
| nor an accused. | |
| (4) In none of the above. | |
| प्रश्न संख्या 10. | |
| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 लागू होगी : | m |
| (1) जबिक सूचना देने वाला व्यक्ति अभियुक्त है, परन्तु पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में नहीं है। | |
| (2) जबिक सूचना देने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, परन्तु अभियुक्त नहीं है। | |
| (3) जबकि सूचना देने वाला व्यक्ति न तो पुलिस अधिकारी | |
| की अभिरक्षा में है, ना ही एक अभियुक्त है। | \vdash |
| (4) उपरोक्त में से किसी में नहीं। Question No.11. | |
| | |
| With the aid of a photostat copy of a sale deed, a person wishes property. He has to prove first that:- | to prove sale of a |
| Photostat copy is obtained through a mechanical process. The photostat copy is a true and correct copy of its original. The original document has been lost. | |
| (4) None of the above. | |
| प्रश्न संख्या 11. | |
| एक व्यक्ति, एक विक्रयपत्र की फोटो प्रतिलिपि की सहायता से एक सम्पति | के बेचान को साबित |
| करना चाहता है। उसे सबसे पहले यह साबित करना होगा कि : | च चना का समित |
| (1) फोटो प्रतिलिपि एक यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की गई है। | |
| (2) फोटो प्रतिलिपि अपने मूल की सत्य एवं सही प्रतिलिपि है। | |
| (3) मूल दस्तावेज खो गया है। (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। | |
| וופרי פווע וו דו ווער פווע וויי ווייי וויייי (די) | |

Question No.12. A school teacher during school hours was found in restricted military area. He defended himself by stating that he was authorised to enter in the restricted area. The burden to prove that he was authorised to enter in the restricted area, is upon:-(1) The authority that regulates entry in restricted area. (2) The Security Guards of the area. (3) The person who was found in the restricted area. (4) The officer who found the person present in the restricted area. प्रश्न संख्या 12. एक स्कूल अध्यापक, स्कूल अवधि में प्रतिबन्धित सैन्य क्षेत्र में पाया जाता है। अपने बचाव में वह कथन करता है कि वो प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिकृत है। वह व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश के लिए अधिकृत है, यह साबित करने का भार है:-(1) उस प्राधिकारी पर जो प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश विनियमित करता है। (2) क्षेत्र के सुरक्षा गार्ड्स पर। (3) उस व्यक्ति पर जो कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में पाया गया। (4) उस अधिकारी पर जिसने व्यक्ति को प्रतिबन्धित क्षेत्र में पाया। Question No.13. A legally wedded person is found guilty for commission of an offence punishable under Section 8/16 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. Whether benefit of the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 can be given to such person? (1) No (2) Yes (3) Yes, by giving special reasons for that (4) Yes, if the accused is physically disabled. प्रश्न संख्या 13. विधिक रूप से विवाहित एक व्यक्ति स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/16 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी पाया गया है। क्या ऐसे व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान का लाभ दिया जा सकता है?

(1) नहीं। (2) हाँ।

(3) हाँ, ऐसे किये जाने हेतु विशेष कारण दर्शित करते हुए।

(4) हाँ, यदि अभियुक्त शारीरिक रूप से अक्षम है।

| Question No.14 | |
|---|---|
| What does "Production" means under the Narcotic Dru Substances Act, 1985? | ugs and Psychotropi |
| Separation of Opium, Poppy straw, Coca leaves or Cannabis from the plant from which they are obtained. Refining and transformation of narcotic drug. Production of Opium by series of operations. None of the above. | |
| प्रश्न संख्या 14. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन "उत्पादन" (1) अफीम, पोस्त—तृण, कोका की पत्तियों या कैनबिस का ऐसे पौधों से, जिनसे वे प्राप्त होते हैं, पृथक किया जाना। (2) स्वापक औषधि का परिष्करण और रूपान्तरण। (3) क्रमबद्ध संक्रियाओं द्वारा अफीम का उत्पादन। (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। | से क्या अभिप्रेत है? |
| Question No.15. | |
| "B", an unmarried person, who is not a member of Scheduled Casinforms the police that his wife has been grieviously hurt due to the who is a member of Schedule Caste. On basis of this information against "C" for the offence punishable under Section 326-A of the commits an offence under:- | throwing of Acid by "C", |
| Section 425 of the Indian Penal Code. Section 3(1)(ix) of The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Section 3(1)(xi) of The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. None of the above. | |
| प्रश्न संख्या 15. 'ब' एक अविवाहित व्यक्ति, जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को सूचना देता है कि उसकी पत्नी को 'स' जो कि अनुसूचित जाति का सदस् गंभीर उपहित कारित हुई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने 'स' के विकी धारा 326-क के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का एक प्रकरण दर्ज किया किया गया है:- | य है, द्वारा तेजाब फैकने से वेरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता |
| (1) अन्तर्गत धारा 425 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन। | |
| (2) अन्तर्गत घारा 3(1)(ix) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के अधीन। | |
| (3) अन्तर्गत धारा 3(1)(xi) अनुसूचित जाति और अनुसूचित | (10 0) (100) |
| जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के अधीन। (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। | |

Question No.16. What sentence can be awarded to a convict for offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881:-(1) Imprisonment for a term, which may extend to three years or fine upto one lac rupees or with both. (2) Imprisonment for a term, which may extend to two years or fine, which may extend to twice the amount of Cheque or with both. (3) Imprisonment for a term, which may extend to six months and fine equal to the amount of Cheque or with both. (4) Imprisonment for a term, which may extend to one year and with fine, which may extend to double the amount of Cheque or with both. प्रश्न संख्या 16. परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत दोषसिद्व व्यक्ति को निम्न में से कौनसा दण्डादेश प्रदान किया जा सकता है:--(1) तीन वर्ष तक की अवधि का कारावास अथवा एक लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनो। (2) दो वर्ष तक की अवधि का कारावास अथवा जुर्माना जो चैक की रकम से दुगनी राशि तक हो सकता है अथवा दोनो। (3) छः माह तक की अवधि तक कारावास एवं चैक की राशि के बराबर का जुर्माना अथवा दोनो। (4) एक वर्ष तक की अवधि तक कारावास एवं चैक की दुगनी राशि तक का जुर्माना अथवा दोनो। Question No.17. The General Rules (Criminal), 1980 have been made by the:-(1) Governor of Rajasthan in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India. (2) Governor of Rajasthan after having consultation

HJS-15-LP-2

with the Rajasthan High Court.

Governor of Rajasthan.

Constitution of India.

(3) High Court of Judicature for Rajasthan, in exercise of the powers conferred upon it by Article 227 of

the Constitution of India with approval of the

exercising powers under Article 227 of the

(4) Chief Justice of the Rajasthan High Court

| • | प्रश्न संख्या 17. | 1 | |
|------|---|---------------------------|--------------------|
| | सामान्य नियम (दाण्डिक) 1980 बनाये गये है: | | |
| 4 | (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। | | |
| | (2) राजस्थान उच्च न्यायालय से सलाह लेकर राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। | | |
| | (3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों | | |
| 6 | के प्रयोग में राजस्थान के राज्यपाल के अनुमोदन से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा। | _ | |
| | (4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन शक्तियों | | |
| | का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। | | |
| | | | |
| | Question No.18. | | |
| HII. | When the amount of fine, compensation or other sum, deposit, paid into a Court of Judicial Magistrate, then the Presiding Officer send the money to the:- | penalty or of the Cou | fee is rt shall |
| • | (1) Bank having account of the Court. | | |
| | (2) Concerned Chief Judicial Magistrate. (3) Scheduled bank authorised to receive | | |
| | money on behalf of the High Court to which the Court of Judicial Magistrate is subordinate. | | |
| | (4) Nearest treasury or sub-treasury or scheduled bank authorised to receive money on behalf | ш. | |
| | of the Government. | | |
| | प्रश्न संख्या 18. | | • |
| | जब जुर्माना, प्रतिकर या अन्य राशि, निक्षेप, शास्ति या फीस की राशि का मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया जाता है, तो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी र | भुगतान एक शि भेजेगा :- | न्यायिक |
| | (1) बैंक को जिसमें न्यायालय का खाता है। | | |
| | (2) सम्बद्ध मुख्य न्यायिक मिलस्ट्रेट को।(3) अनुसूचित बैंक को जो उस उच्च न्यायालय के | | |
| | लिए राशि लेने हेतु प्राधिकृत है जिसके अधिनस्थ | | |
| | न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। (4) निकटस्थ कोषागार या उप कोषागार या सरकार | | |
| | की तरफ से राशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित बैंक को। | | 8 |
| | | | |

The phrase "a motive or reward for doing" used in Section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988, indicates:-(1) A public servant, who habitually accepts gratification to discharge duties entrusted to him. (2) A person, who by corrupt or illegal means obtains valuable things for other person. (3) A person, who receives a gratification as a motive or reward for doing what he does not intend or is not in a position to do, or has not done. (4) None from the above. प्रश्न संख्या 19. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में प्रयुक्त वाक्यांश "करने के लिए हेतु या इनाम" प्रकट करता है:-(1) एक लोक सेवक, जो उसे दिये गये कर्तव्य के निर्वहन हेतु आदतन परितोषण प्राप्त करता है। (2) एक व्यक्ति, जो भ्रष्ट या अवैधानिक तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करता है। (3) वह व्यक्ति, जो वह बात करने के लिए हेतु के रूप में, जिसे करने का आशय नहीं है अथवा वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है अथवा जो उसने नहीं की है, परितोषण प्राप्त करता है। (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। Question No.20. Which of the following is correct statement? (1) The Special Court shall try cases in camera and in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence. (2) The Special Court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accused at the time of recording of the evidence. (3) The evidence of the child shall be recorded within a period of thirty days of the Special Court taking cognizance of the offence and reasons for delay, if any, shall be recorded by the Special Court. (4) All the above.

Question No.19.

| नम न स कानसा कथन सहा ह :- | |
|--|---|
| (1) विशेष न्यायालय मामलो का विचारण बन्द कमरे में और | |
| बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति | |
| में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है। | |
| (2) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी | |
| भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय अभियुक्त | |
| के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है। | - |
| (3) बालक की साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का | |
| संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित | |
| किया जाएगा और विलंब के लिए, यदि कोई हो, विशेष | |
| न्यायालय द्वारा कारण अभिलिखित किए जाएगें। | |
| जानात्व क्षारा कारण जानातात्वत किए जाएग | - |

(4) उपरोक्त सभी।

PARTB-भाग ब Marks/अंक - 80 SUBJECTIVE/NARRATIVE विषयनिष्ठ / वर्णात्मक

Attempt all 12 Questions. Question No. 1 to 10 carry 6 marks each. Question No. 11 carries 8 marks and Question No. 12 carries 12 marks.

समस्त 12प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 से 10 प्रत्येक के 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 11 के 8 अंक निर्धारित हैं एवम् प्रश्न संख्या 12 के 12 अंक निर्धारित हैं।

Question No.1:

(06 Marks)

What are the tests to understand the principles of "Rarest of Rare Case"? Explain with the aid of leading Supreme Court judgments.

"दुर्लभ से दुर्लभतम मामला" के सिद्धान्त को समझने हेतु क्या परीक्षण है? सर्वोच्च न्यायालय के अग्रणी निर्णयों की सहायता से समझाईये।

Question No.2:

(06Marks)

In light of the relevant provisions of Code of Criminal Procedure write short note on following:-

(Each short note carry two marks).

दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रकाश में निम्न पर लघु टिप्पणी लिखें:— (प्रत्येक लघु टिप्पणी हेतु दो अंक)

- 2(i) Compensation to persons groundlessly arrested. निराधार गिरफ्तार करवाये गये व्यक्तियों को प्रतिकर।
- 2(ii) Procedure of arrest and duties of officer making arrest. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।
- 2(iii) Procedure in case of insolvency or death of surety or when bond is forfeited. प्रतिभु के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्ध पत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया।

Question No.3

(06Marks)

Explain the procedure that is to be followed on failure of an offender released on probation of good conduct to observe the conditions of bond. एक अपराधी जिसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है के बन्धपत्र की शर्तों की अनुपालना में असफल रहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया समझाईये।

Question No.4:

(06Marks)

Answer all the three questions. Each question carry two marks.

सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के दो अंक है।

4(i) A person who is not a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, holding the post of Tehsildar, commits an offence described under Section 3(1)(xv) of The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. What is the minimum punishment that should be given to such person?

एक व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तहसीलदार का पद धारित कर रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xv) में वर्णित अपराध कारित करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या न्यूनतम दण्ड दिया जाना चाहिए?

4(ii)Discuss the provisions relating to presumption as to offences under Chapter-II of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दूसरे अध्याय के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा सम्बन्धित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

4(iii) Discuss the provisions relating to removal of person likely to commit offence under Chapter-II of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की दूसरे अध्याय के अधीन अपराध किये जाने की संभावना है, को हटाये जाने सम्बन्धित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

Question 5:

(06Marks)

Answer all the three questions. Each question carry two marks.

सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के दो अंक है।

5(i) What is the procedure given in the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 in case of commission of offence by a child and determination of age by Special Court?

एक बालक द्वारा किसी अपराध के घटित करने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण करने के मामले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में क्या प्रक्रिया दी गई है?

5(ii)Discuss the provisions for medical examination of a child under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन एक बालक की चिकित्सीय

परीक्षा हेतु दिये गये प्रावधान की चर्चा करिये।

5(iii) What is the object for enacting "The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012"?

"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" को बनाये जाने का उद्वेश्य क्या है?

Question 6: (06Marks)

Answer all the three questions. Each question carry two marks.

सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के दो अंक है।

- 6(i) What does "child in need of care and protection" means under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000? किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण), अधिनियम, 2000 के अधीन "देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक" से क्या अभिप्रेत है?
- 6(ii) In which circumstance a High Court may exercise powers conferred on a Juvenile Justice Board? किस परिस्थिति में एक उच्च न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है?
- 6(iii) What does "fit institution" means under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000? किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण), अधिनियम, 2000 के अधीन "योग्य संस्था" से क्या अभिप्रेत है?

Question 7:

(06Marks)

Write a short note about the following in light of the provisions of General Rules (Criminal), 1980. (Each short note carry two marks).

साधारण नियम (दाण्डिक), 1980 के प्रावधानों के प्रकाश में निम्न के सम्बन्ध में लघु टिप्पणी लिखिये। (प्रत्येक लघु टिप्पणी के दो अंक है।)

- 7(i) Matter of public importance disposal thereof. लोक महत्व का मामला और उसका निस्तारण।
- 7(ii) Daily cause list. दैनिक वाद सूची।
- 7(iii) Disposal of fire arms. आग्नेय अस्त्रों का निस्तारण।

Question 8:

(06Marks)

What precaution an investigating officer is required to take while making entry into a building, search, seizure and arrest as per the requirements of Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985?

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की घारा 42 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी को किसी भवन में प्रविष्ठ होने, तलाशी लेने, कोई जब्ती अथवा गिरफ्तारी करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Question 9:

(06Marks)

Mr. "A" is owner and Manager of Hotel Sarovar. The Hotel Sarovar is situated at the bank of a lake in Ramnagar. Water of the lake is mainly used for drinking purpose. From 1.6.2015 to 5.6.2015 a huge quantity of dirty water and rotten food material was discharged in the lake from the hotel and that fouled the water of lake.

Whether Mr. "A" has committed any offence under the Indian Penal Code? If yes, then on basis of the given facts frame charge of offence against Mr. "A", by treating yourself as Mr. "J", Judicial Magistrate, Ramnagar.

श्री "अ" होटल सरोवर के स्वामी और व्यवस्थांपक है। होटल सरोवर रामनगर की एक झील के किनारे स्थित है। झील का जल मुख्यतः पीने के काम लिया जाता है। दिनांक 01.06.2015 से 05.06.2015 तक उक्त होटल द्वारा भारी मात्रा में गन्दा पानी और सड़ी खाद्य सामग्री झील में प्रवाहित की गई, जिससे झील का जल कलुषित हो गया।

क्या श्री "अ" ने भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कोई अपराध कारित किया? यदि हाँ, तो अपने आपको श्री "ज", न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर समझते हुए, दिये गये तथ्यों के आधार पर श्री "अ" के विरूद्ध अपराध का आरोप बनाईये।

Question 10:

(06Marks)

Answer both the questions. Each question carry three marks.

दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के तीन अंक है।

10(i) Criminal misconduct by a public servant under Prevention of Corruption Act, 1988.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार।

10(ii) Power of Court to release certain offenders after admonition. कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति।

Question 11:

(08Marks)

Discuss the law relating to criminal intimidation by referring relevant case law. In what way extortion is a different from criminal intimidation?

आपराधिक अभित्रास से सम्बन्धित विधि पर संगत निर्णयों का हवाला देते हुऐ चर्चा कीजिये। उद्दापन किस प्रकार से आपराधिक अभित्रास से भिन्न होता है? On 2.2.2015, at about 07:30 PM, a woman was brought to the Government Hospital for treatment being suffered by serious burn. A statement made by the woman was reduced in writing by Station House Officer, Police Station Sadar. As per the statement, name of the woman was 'Kamla' and she was residing with her husband 'Mohan' in a small house of one room, kitchen and toilet. Mohan was in habit to ill-treat her and he was also having illicit relations with some other woman. On 2.2.2015 at about 06:45 PM Mohan came to home and poured kerosene on 'Kamla' and then put her on fire. He then fled from the house. Hearing screams, neighbours came to the spot of occurrence and poured sand and water on Kamla. She was then brought to hospital by them.

On basis of this statement a case was lodged against Mohan and looking to the serious condition of Kamla her dying declaration was also recorded by competent Magistrate after taking necessary certificate by treating doctor. Before the Magistrate, Kamla reiterated whatever she stated to the Station House Officer. During the course of treatment Kamla died on 2.2.2015 at 11:30 PM. The police after regular investigation submitted its report to a competent court and on basis of that Mohan was charged for an offence punishable under Section 302 Indian Penal Code and he was tried for that.

In trial, prosecution produced Investigating officer, the Magistrate, who recorded dying declaration, the treating doctor and the doctor who conducted postmortem in evidence. The documents prepared during the course of investigation were also exhibited. Accused Mohan did not produce any evidence in defence.

On basis of these facts, write a judgment convicting Mohan and sentencing him suitably.

दिनांक 2.2.2015 को संध्या में करीब 07:30 बजे, जलने से प्रमावित एक महिला को उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। उक्त महिला द्वारा दिये गये बयान को आरक्षी केन्द्र, सदर के भार साधक अधिकारी द्वारा लिख लिया गया। दिये गये बयान के अनुसार महिला का नाम "कमला" था और वह अपने पति "मोहन" के साथ एक कमरा, रसोई और शौचालय वाले छोटे घर में रह रही थी। मोहन को उसके साथ दुर्व्यवहार करने की आदत थी और उसके किसी अन्य महिला के साथ अवैध सम्बन्ध भी थे। दिनांक 2.2.2015 को संध्या में करीब 06:45 बजे मोहन घर आया और कमला पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। वह फिर घर से भाग गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ौसी घटना स्थल पर आये और कमला पर मिट्टी और पानी डाला। इसके बाद वह उनके द्वारा चिकित्सालय लाई गयी।

इस बयान के आधार पर मोहन के विरूद्ध एक मामला दर्ज किया गया तथा कमला की गम्भीर स्थिति को देखते हुऐ सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा, उपचार करने वाले चिकित्सक से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका मृत्युकालीन कथन दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट के समक्ष कमला ने वही दोहराया जो वह भार साधक अधिकारी को कह चुकी थी। नियमित अन्वेषण के बाद पुलिस ने सक्षम न्यायालय में

16

HJS-15-LP-2

अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके आधार पर मोहन पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया एवं इस हेतु उसका विचारण किया गया।

विचारण में अभियोजन द्वार अन्वेषण अधिकारी, मृत्युकालीन कथन दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट, उपचार करने वाले चिकित्सक और शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया। अन्वेषण के दौरान तैयार किये गये दस्तावेज भी प्रदर्शित किये गये। अभियुक्त मोहन अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

इन तथ्यों के आधार पर मोहन को दोषसिद्ध और यथोचित रूप से दण्डित करते हुऐ निर्णय लिखिये।